रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276435
CG-DL-E-23092026-276435

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/अश्विन 1, 1948
No. 765] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ ASVINA 1, 1948

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 835(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग) समूह 'ग' (लिपिक वर्गीय पद) भर्ती नियम, 1987, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी खण्ड), कोलकाता, अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2016 व राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2023 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग तथा घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग, उच्च श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाश की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि**: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि से अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है की ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन-मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	167*(2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन पद ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।**
(10)	(11)
पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति** : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी

	मे आठ वर्ष की सेवा है (प्रोन्नति राज्यवार या संघ राज्य क्षेत्रवार की जाएगी) **प्रतिनियुक्ति**: केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारी - (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए है : या (ii) जो मूल कैडर या विभाग में अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष पद पर आठ वर्ष की सेवा किए हुए हैं, और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष संस्थान से स्नातक की डिग्री है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग से ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
1. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) दिल्ली में (क्षेत्र संकार्य प्रभाग मुख्यालय, कृषि सांख्यिकी खंड, फरीदाबाद, उद्यम सर्वेक्षण इकाई, दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली तथा समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- (i) उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्यम सर्वेक्षण इकाई, दिल्ली - सदस्य और	लागू नहीं होता ।

(iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 2. समूह 'ग' विभागी प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- (i) राज्य की राजधानी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख (निदेशक के पद से कम स्तर न हो) – अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक, घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग या उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग या क्षेत्र संकार्य प्रभाग (उस राज्य दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय) – सदस्य; और (iii) केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग का समूह 'क' अधिकारी – सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/02/2026/प्रशा.-III (ई-90089)]

नीलम अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Statistics Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

G.S.R. 835(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Organisation (Data Processing Division and Survey Design & Research Division) Group 'C' (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1987, the Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata, Lower Division Clerk and Upper Division Clerk, (Group 'C') posts, Recruitment Rules, 2016 and the National Sample Survey Office, Field Operations Division, Upper Division Clerk, Recruitment Rules, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, in the Field Operations Division, Coordination Quality and Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, National Statistics Office, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Statistics Office, Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, Upper Division Clerk, Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.**– The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether Selection post or non-selection post**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Upper Division Clerk	167*(2026) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100)	Non-selection

Age limit of Direct Recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By promotion failing which, by deputation.	**Promotion:** Lower Division Clerk, in level -2 (Rs.19900- Rs.63200) in the pay matrix with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. (Promotion shall be made State or Union Territories Administration-wise). **Deputation:** Officers of the Central Government– (a) (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with eight years' service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in the parent cadre or Department**;** and (b) Possessing Bachelor Degree of a recognized University or equivalent.

	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	**(13)**
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in Delhi (Field Operations Division Hqrs, Agricultural Statistics Wing, Faridabad, Enterprise Survey Unit, Delhi, Regional Office, Delhi and Coordination and Quality Control Division), consisting of:- (i) Deputy Director General, National Statistics Office, Field Operations Division (Headquarter) – Chairperson; (ii) Deputy Director, Enterprise Survey Unit, Delhi - Member; and (iii) A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government - Member. 2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in States or Union Territories other than Delhi, consisting of :- (i) Regional Head in the State Capital Regional Office (not below the rank of Director) – Chairman; (ii) Deputy Director, Household Survey Division or Enterprise Survey Division or Field Operations Division (other regional offices in that State) – Member; and (iii) A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central or State Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2026-Ad.III (E-90089)]

NEELAM ARORA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA